भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1973

उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

विमुक्त जनजातियों हेतु सीड योजना

1973. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीड (विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना) योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) विमुक्त जनजातियों को जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या विमुक्त जनजातियों को प्रमाण पत्र जारी करने में विसंगतियां हुई हैं और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि ऐसी विसंगतियां न हों; और

(घ) क्या सरकार नस्लीय भेदभाव उन्मूलन संबंधी समिति की सिफारिश के अनुसार राज्यों में आभ्यासिक अपराधी अधिनियम का निरसन करने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (डीएनटी) के विकास और कल्याण के लिए विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की स्कीम (सीड) नामक योजना का कार्यान्वयन करता है।

(i) सीड के आजीविका घटक के अंतर्गत, आठ राज्यों अर्थात् गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में 29,517 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 2,620 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए हैं।

(ii) शैक्षिक सशक्तिकरण (निःशुल्क कोचिंग घटक) के अंतर्गत, 541 डीएनटी छात्र लाभान्वित हुए हैं।

(iii) गुजरात और महाराष्ट्र में स्वास्थ्य बीमा घटक के अंतर्गत अब तक डीएनटी लाभार्थियों के लिए कुल मिलाकर 2,608 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग): इन समुदायों से संबंधित पात्र व्यक्तियों को डीएनटी जाति प्रमाण पत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जारी किया जाता है।

सात राज्य (महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात) संबंधित राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं।

(घ): चूंकि आभ्यासिक अपराधी अधिनियम एक राज्य अधिनियम है, अत: गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आभ्यासिक अपराधी अधिनियम की स्थिति की जानकारी मांगता है। गृह मंत्रालय द्वारा 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार आभ्यासिक अपराधी अधिनियम के निरसन की स्थिति **अनुबंध** में संलग्न है।

'विमुक्त जनजातियों हेतु सीड योजना' के संबंध में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर हेतु डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1973 के भाग (घ) से संदर्भित अनुबंध

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनके अधिकार क्षेत्र में "आभ्यासिक अपराधी अधिनियम" की स्थिति पर प्राप्त सूचना/टिप्पणियां।

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र	सूचना/टिप्पणियां
1.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजाति नहीं है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1976 दादरा और नगर हवेली में लागू है।
2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	आभ्यासिक अपराधी अधिनियम के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। हालांकि, मद्रास आभ्यासिक अपराधी प्रतिषेध अधिनियम, 1948 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 22.12.1951 के जरिए संपूर्ण दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र पर लागू कर दिया गया है और यह अधिनियम दिल्ली पर लागू है।
3.	कर्नाटक	कर्नाटक आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1961 अस्तित्व में है।
4.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य के लिए कोई आभ्यासिक अपराधी अधिनियम नहीं है।
5.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	आभ्यासिक अपराधियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110-जी के तहत आरोपित किया जा रहा है और सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। ऐसे अपराधियों को मजिस्ट्रेट के विवेक पर व्यक्तिगत बांड के साथ-साथ जमानती बांड पर तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए रोका जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पुलिस थानों में आभ्यासिक अपराधियों का आंकड़ा मेनटेन किया जाता है और उनकी गतिविधियों पर नियमित नज़र रखी जाती है। हालांकि, इन द्वीप समूहों में घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू समुदायों को नहीं देखा गया है।
6	चंडीगढ़	कोई जनजाति क्षेत्र नहीं है और चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी जाति/समुदाय को जनजातियों, विमुक्त/घुमन्तू/अर्ध-घुमन्तू जनजातियों के रूप में नहीं घोषित किया गया है। इसलिए, सूचना 'शून्य' मानी जा सकती है।
7.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप की मूल आबादी मुस्लिम धर्म से है और भारत सरकार द्वारा उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया

		है। इस संघ राज्य-क्षेत्र में घुमन्तू या अर्ध-घुमन्तू जनजातियां नहीं है। इसलिए, सूचना 'शून्य' मानी जाए।
8.	पुडुचेरी	पुदुचेरी संघ राज्य-क्षेत्र में आभ्यासिक अपराधी की स्थिति का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू समुदायों के अंतर्गत आभ्यासिक अपराधी इस संघ राज्य-क्षेत्र में नहीं हैं।
9.	राजस्थान	राजस्थान आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1953 और राजस्थान आभ्यासिक अपराधी नियमावली, 1955 मौजूद है। हालांकि, इन कानूनों में विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू समुदायों के लिए कोई उपबंध नहीं हैं।
10.	असम	असम राज्य के लिए आभ्यासिक अपराधी अधिनियम शीर्षक के तहत कोई राज्य अधिनियम नहीं है।
11.	पंजाब	पंजाब आभ्यासिक अपराधी (नियंत्रण एवं उपचार) अधिनियम 1962 को 1952 में अधिनियमित किया गया था और अभी भी वैध है। हालाँकि, इसे लागू नहीं किया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, पुलिस द्वारा आभ्यासिक अपराधियों का कोई रजिस्टर नहीं रखा गया, उसमें कोई डेटा या प्रविष्टियां नहीं की गईं और जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया गया। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, यह अधिनियम क्रियान्वित नहीं है और लागू नहीं है।
12.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम 1962, [1962 की ए.पी. अधिनियम संख्या 4] अभी भी आंध्र प्रदेश राज्य में लागू है। हालाँकि, 11-10-2019 तक आंध्र प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत आंध्र प्रदेश राज्य की किसी भी जेल में कोई कैदी बंद नहीं है।
13.	मिजोरम	मिजोरम सरकार ने "आभ्यासिक अपराधी अधिनियम" लागू नहीं किया है, इसलिए, मिजोरम राज्य में निरस्त करने के लिए कोई आभ्यासिक अपराधी अधिनियम नहीं है।
14.	गुजरात	आभ्यासिक अपराधी अधिनियम 1959 में आभ्यासिक अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई का प्रावधान है। इसका उद्देश्य किसी समुदाय विशेष को परेशान करना या कठिनाई पैदा करना नहीं है। इसलिए, गुजरात राज्य सरकार का मानना है कि "आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1959" को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए।
15.	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य द्वारा अभी तक आभ्यासिक अपराधी अधिनियम

		अधिनियमित नहीं किया गया है
16.	हरियाणा	हरियाणा राज्य द्वारा आभ्यासिक अपराधियों पर प्रतिबन्ध अधिनियम (1918 की पंजाब अधिनियम संख्या 5) को आभ्यासिक अपराधियों पर प्रतिबन्ध (पंजाब) हरियाणा निरसन अधिनियम 2004 (2004 की हरियाणा अधिनियम संख्या 14) के तहत निरस्त कर दिया गया है।
17.	सिक्किम	सिक्किम राज्य में आभ्यासिक अपराधी अधिनियम को लागू नहीं किया गया है
18.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969 की धारा 4 के प्रावधान के अनुसार मामले दर्ज कर रही है।
19.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर आभ्यासिक अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम, 1956, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की 5वीं अनुसूची, तालिका 4, क्रम संख्या 53 में दर्शाए गए अनुसार लागू है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर आभ्यासिक अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम, 1956 की धारा 2(2) की ओर ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि कानून के उक्त प्रावधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित किसी एक या अधिक अपराधों के कारण दो बार से अधिक कारावास की सजा सुनाई गई हो और दोषी ठहराया गया हो, वह जम्मू और कश्मीर आभ्यासिक अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत किया जाता है।
20.	लद्दाख	जम्मू और कश्मीर आभ्यासिक अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम, 1968 को दिनांक 23.10.2020 के आदेश संख्या एसओ 3775(ई) के तहत लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है।
21.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश आभ्यासिक अपराधी (प्रतिबंध) अधिनियम, 1962 अभी भी लागू है। हालांकि, राज्य सरकार ने यह भी बताया कि यदि केंद्र सरकार उक्त अधिनियम को निरस्त कर देती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम के सभी प्रावधान पहले से ही उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 में मौजूद हैं।
22.	बिहार	बिहार में आभ्यासिक अपराधी अधिनियम लागू नहीं है।
23.	तेलंगाना	23.07.2020 तक आभ्यासिक अपराधी अधिनियम के तहत कोई

		भी मामला लंबित नहीं है और अधिनियम निरर्थक हो गया है और अधिनियम के प्रावधान दंडात्मक और पुनर्वास के बजाय निवारक उपायों के रूप में अधिक हैं। इसके अलावा, तेलंगाना राज्य में किसी किसी भी समुदाय को समग्र रूप से आभ्यासिक अपराधी के रूप में में अधिसूचित नहीं किया गया है।
24.	ओडिशा	ओडिशा आभ्यासिक अपराधी प्रतिबंध अधिनियम, 1952 अभी भी लागू है, हालांकि पिछले पांच वर्षों में इसके प्रावधानों के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
25.	गोवा	राष्ट्रीय अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति आयोग द्वारा तैयार की गई समुदायों की राज्यवार सूची के अनुसार सत्यापन के बाद, यह पाया गया है कि गोवा राज्य में ऐसी कोई घुमंतू जनजाति मौजूद नहीं है। इसलिए, गोवा सरकार का मानना है कि गोवा, दमन और दीव आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1976 के गोवा राज्य में जारी रहने से ऐसी किसी भी जनजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
26.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य में आभ्यासिक अपराधी अधिनियम लागू नहीं है।

******